भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1856
14 दिसंबर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच

1856 श्री नीरज डांगीः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऑक्सफैम की कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की केवल आधी आबादी के पास ही स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है;
(ख) एक भारतीय नागरिक का लंबे समय तक औसतन आय से अधिक खर्च कितना होता है;
(ग) आयुष्मान भारत की सेवाओं का लाभ उठाने वाले भारतीयों की कुल संख्या कितनी है; और
(घ) आयुष्मान भारत से प्राप्त लाभों की संख्या और उनके प्रकार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क): "जन स्वास्थ्य और अस्पताल" राज्य का विषय है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सहित स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की उपलब्धत सुनिश्चित करने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके द्वारा प्रस्तुत की गई अपेक्षाओं के आधार पर अपने सभी नागरिकों, विशेष रूप से गरीब और पिछड़ी आबादी को समान, वहनीय स्वास्थ्य परिचर्या के प्रावधान हेतु उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नमूना सर्वेक्षण (75 वां दौर) के अनुसार, ग्रमीण क्षेत्रों में चिकित्सीय सलाह पर उपचारित रोगों का प्रतिशत 86.2% है तथा शहरी क्षेत्रों में यह 91.9% है। समग्र प्रतिशत 88.3% है।

(ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान भारत 2017-18 के अनुसार, आउट ऑफ पॉकेट व्यय (ओओपीई) में गिरावट दिखाई देती है। वर्ष 2013-14 में प्रति व्यक्ति ओओपीई 2336 रु. से घट कर वर्ष 2017-18 में 2097 रु. हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2017-18 के अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय में ऑउट ऑफ पॉकेट व्यय (ओओपीई) वर्ष 2013-14 में 64.2% से घटकर वर्ष 2017-18 में 48.8% हो गया है। विवरण निम्नानुसार है:-

संकेतक	एनएचए 2013-14	एनएचए 2014-15	एनएचए 2015-16	एनएचए 2016-17	एनएचए 2017-18
कुल स्वास्थ्य व्यय % के तौर पर आउट ऑफ पॉकेट व्यय (ओओपीई)	64.2 %	62.6 %	60.6 %	58.7 %	48.8 %
प्रति व्यक्ति आउट ऑफ पॉकेट व्यय (रु.)	2336	2394	2494	2570	2097

(ग) और (घ): केंद्रीय बजट 2018-19 में भारत सरकार ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम के भाग के तौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में दो प्रमुख कार्यकलापों की घोषणा की है। ये कार्य निम्नानुसार हैं:-

1) आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी): इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसी व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है जो उपभोक्ताओं के लिए सार्वभौमिक और नि:शुल्क है, जिसमें मुख्य ध्यान आरोग्यता पर और समुदाय के निकट अनेक विस्तृत सेवाएं प्रदान करने पर दिया जाता है।

09 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, देशभर में 80,701 एचडब्ल्यूसी प्रचालनरत हैं। राज्य-वार आंकड़े **अनुलग्नक-I** पर हैं। एचडब्ल्यूसी पोर्टल में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार:

- इन प्रचालनरत एचडब्ल्यूसी से कुल 90.35 लाख आरोग्य सत्रों की सूचना प्राप्त हुई है जिनमें 6.08 करोड़ लाभार्थियों ने भाग लिया।
- इन एबी-एचडब्ल्यूसी में 4.07 करोड़ टेली-परामर्श किए गए हैं।
- 66.22 करोड़ रोगियों ने दवाई प्राप्त की हैं।
- 25.49 करोड़ लाभार्थियों ने नैदानिक परीक्षण कराये हैं। कृपया एबी-एचडब्ल्यूसी में की गई जांच की स्थिति का पता लगाएं।
- इन एबी-एचडब्ल्यूसी में 09.12.2021 की स्थिति के अनुसार 73.83 करोड़ फुटफॉल दर्ज किए गए हैं जिनमें से 34.42 करोड़ पुरुष तथा 39.4 करोड़ महिला फुटफॉल हैं। विवरण **अनुलग्नक-II** पर है।

2) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई): इस द्वितीय घटक में मध्यम और विशिष्ट परिचर्या के लिए अस्पताल दाखिले हेतु सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रु. तक का कवरेज प्रदान करते हुए 10 करोड़ गरीब और पिछड़े परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) को शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

09 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, लगभग 29,258 करोड़ रु. के मूल्य के लगभग 2.54 करोड़ अस्पताली दाखिलों को पीएम-जेएवाई के तहत प्राधिकृत किया गया है। इन सेवाओं में उपचार सहित सभी लागतों को शामिल करते हुए 1670 उपचार प्रक्रियाएं शामिल हैं परंतु ये सेवाएं औषधि, आपूर्ति, नैदानिक सेवाओं, चिकित्सक का शुल्क, कमरा प्रभार, सर्जन प्रभार, ओटी और आईसीयू प्रभार आदि तक ही सीमित नहीं हैं। एबी-पीएम-जेएवाई के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए लाभों अर्थात प्राधिकृत अस्पताल में दाखिलों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक-III पर है।

अनुलग्नक-I

प्रचालनरत एबी-एचडब्ल्यूसी के राज्यवार आंकड़े

क्र.सं.	राज्य	प्रचालनरत एचडब्ल्यूसी			
		एसएचसी	पीएचसी	यूपीएचसी	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	102	22	5	129
2	आंध्र प्रदेश	2910	1145	240	4295
3	अरुणाचल प्रदेश	133	66	4	203
4	असम	1605	681		2286
5	बिहार	1181	1049	98	2328
6	चंडीगढ़		2	27	29
7	छत्तीसगढ़	2545	641	46	3232
8	दादरा और नगर हवेली	52	8		60
9	दमन और दीव	26	4		30
10	दिल्ली		0		0
11	गोवा	98	54	5	157
12	गुजरात	5109	1464	316	6889
13	हरियाणा	652	362	101	1115
14	हिमाचल प्रदेश	597	514	14	1125
15	जम्मू-कश्मीर	1056	396	19	1471
16	झारखंड	1413	178	54	1645
17	कर्नाटक	3302	2166	365	5833
18	केरल	1519	840	94	2453
19	लद्दाख	76	32		108
20	लक्षद्वीप		3		3
21	मध्य प्रदेश	4872	1149	149	6170
22	महाराष्ट्र	6560	1828	463	8851
23	मणिपुर	154	55	2	211
24	मेघालय	193	79	19	291
25	मिजोरम	141	53	8	202
26	नागालैंड	178	48	7	233
27	ओडिशा	342	1234	90	1666
28	पुडुचेरी	82	43	1	126
29	पंजाब	2354	331	94	2779
30	राजस्थान	186	1975	291	2452
31	सिक्किम	96	18	2	116
32	तमिलनाडु	2445	1381	460	4286
33	तेलंगाना	2148	635	224	3007
34	त्रिपुरा	256	61	7	324
35	उत्तर प्रदेश	7506	2205	477	10188
36	उत्तराखंड	716	394	38	1148
37	पश्चिम बंगाल	4041	783	436	5260
कुल		**54646**	**21899**	**4156**	**80701**

अनुलग्नक-II

आंकड़े 09.12.21 तक - स्रोत - एचडब्ल्यूसी पोर्टल					
जांच	**पुरुष**	**महिला**	**कुल पुरुष आगंतुक**	**कुल महिला आगंतुक**	**कुल आगंतुक**
उच्च रक्तचाप	7.24 करोड़ (72489725)	8.02 करोड़ (80272933)	394046291	344285053	738331344
मधुमेह	5.97 करोड़ (59711482)	6.88 करोड़ (68750679)			
मुख का कैंसर	3.94 करोड़ (39437015)	4.25 करोड़ (42457959)			
स्तन कैंसर		4.06 करोड़ (40691785)			
सर्विकल कैंसर		2.76 करोड़ (27570086)			
	171638222	259743442			
कुल	**17.16 करोड़**	**25.97 करोड़**	**39.4 करोड़**	**34.43 करोड़**	**73.83 करोड़**

अनुलग्नक-III

एबी पीएमजेएवाई के तहत प्राधिकृत अस्पताल में दाखिलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राधिकृत अस्पताल में दाखिल
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1,103
2	आंध्र प्रदेश	12,45,963
3	अरुणाचल प्रदेश	1,835
4	असम	3,24,024
5	बिहार	3,33,174
6	चंडीगढ़	14,744
7	छत्तीसगढ़	19,38,782
8	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	75,296
9	गोवा	10,347
10	गुजरात	26,41,061
11	हरियाणा	3,66,657
12	हिमाचल प्रदेश	1,16,903
13	जम्मू-कश्मीर	2,91,567
14	झारखंड	10,07,445
15	कर्नाटक	20,81,489
16	केरल	31,64,063
17	लद्दाख	2,368
18	लक्षद्वीप	16
19	मध्य प्रदेश	12,42,378
20	महाराष्ट्र	5,38,591
21	मणिपुर	46,070
22	मेघालय	3,48,471
23	मिजोरम	61,220
24	नागालैंड	21,481
25	पुडुचेरी	11,056
26	पंजाब	10,04,010
27	राजस्थान	13,71,665
28	सिक्किम	5,184
29	तमिलनाडु	56,34,824
30	तेलंगाना	13
31	त्रिपुरा	1,20,583
32	उत्तर प्रदेश	9,62,872
33	उत्तराखंड	3,86,607
34	पश्चिम बंगाल*	17,636

नोट: *आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) को पश्चिम बंगाल राज्य में 10 जनवरी 2019 तक लागू किया गया था, इसके बाद राज्य सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित न करने का फैसला किया।*

*****